

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2232/2024

=====

यास्मीन आश उर्फ यास्मीन परवीन उर्फ यास्मिना परवीन पति वजीर आलम निवासी वार्ड संख्या
8, हरुवाटांगा थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज
3. अनुमंडल अधिकारी, किशनगंज
4. कार्यपालक अधिकारी सह प्रखंड विकास अधिकारी, दिघल बैंक, जिला-किशनगंज
5. राज्य चुनाव आयोग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बिहार, पटना के माध्यम से
6. विजेंद्र कुमार मुर्मू पिता किशुन मुर्मू निवासी नया बानूसी टोला, थाना-खोड़ाबाड़ी, जिला-किशनगंज.
7. श्रवण कुमार राजभर पिता सहदेव राजभट निवासी पलसा मिलिक थाना-खोड़ाबाड़ी, जिला-किशनगंज।
8. शिवा देवी पति शिव नारायण यादव निवासी तालगाछ, थाना-खोड़ाबाड़ी, जिला-किशनगंज।
9. दिलनाज बेगम पति अरहीम निवासी हल्दावन, थाना-डीघल बैंक, जिला-किशनगंज।
10. मो. मिफाहुल हक पिता अब्दुल मन्नान निवासी दोगिरजा सतकोहा, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
11. राम प्रसाद गणेश पिता चामू लाल गणेश निवासी मालटोली, पुलिस थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
12. बिजली देवी पति अरुण देव गिरि निवासी महामारी, पो. धंतोला, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
13. पंकज कुमार पिता स्वर्गीय मोहन पांडे निवासी धनतोला, पुलिस थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।

14. मिश्री लाल दास पिता भुकरा हरिजन निवासी करुआमनी, पो.पदमपुर, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
15. प्रमिला देवी पति जागेश्वर गोस्वामी निवासी मंगुरा, पो.मंगुरा, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
16. रुकैया खातून पति स्वर्गीय नजीबुर्रहमान निवासी जागीर दहिबाभट, पोस्ट . तुलसिया, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
17. यार मोहम्मद पिता अब्दुल वहाब निवासी बालूबाड़ी, पो. कोडनोबारी,थाना-कोढोबाड़ी, जिला-किशनगंज।
18. मिन्नत परवीन पति फारूक आलम निवासी पत्थनघट्टी, पो.कोडनोबारी, थाना-कोढोबारी, जिला-किशनगंज।
19. अख्तरी बेगम पति ओअयूब आलम निवासी चकला घंगड़ा, थाना थाना-कोढोबाड़ी, जिला-किशनगंज.
20. मोहम्मद मुश्ताक पिता हाजी समीरुद्दीन निवासी चकला घंगड़ा थाना-कोढोबाड़ी, जिला-किशनगंज
21. मालेका खातून पति मोहसिन अली निवासी मुस्तफागंज, थाना। तुलसिया,थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज
22. आमा खातून पति अब्दुल लतीफ निवासी सुकंडेधी, पो. पदमपुर,थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज
23. मुस्तफा बेगम पति मो.अख्तर निवासी दोगच्छी, थाना-गरभंडांगा, जिला-किशनगंज।
24. अंजनी बेगम पति अब्दुल कलाम निवासी आमबाड़ी, पो. लोहागाड़ा हाट, थाना-गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज
25. जफर हसनैन पिता शमशुल होदा निवासी ताराबाड़ी, थाना-गरभंडांगा, जिला-किशनगंज
26. अब्दुल कैयूम पिता तौहीद आलम निवासी डकरा, पो. लोहागाड़ा हाट, थाना-गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज
27. अजमत अली पिता निजामुद्दीन निवासी खास कुम्हिया, पो. लोहागाड़ा हाट, थाना-गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज।

..... .. प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2233/2024

अंजरी बेगम उर्फ अंजरी बेगम पति अबुल कलाम, निवासी आमबाड़ी, पोस्ट . लोहारग्रह हाट,
पुलिस स्टेशन-गर्भडांगा, जिला-किशनगंज

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. जिला मजिस्ट्रेट, किशनगंज।
3. अनुमंडल अधिकारी, किशनगंज।
4. कार्यपालक अधिकारी सह प्रखंड विकास अधिकारी, दिघल बैंक, जिला-किशनगंज
5. राज्य चुनाव आयोग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बिहार, पटना के माध्यम से।
6. विजेंद्र कुमार मुर्मू पिता किशुन मुर्मू निवासी नया बानूसी टोला, थाना खोदाबारी,
जिला- किशनगंज.
7. श्रवण कुमार राजभर पिता सहदेव राजभर निवासी पलसा मिलिक थाना-खोड़ाबाड़ी, जिला-
किशनगंज।
8. शिव देवी पति शिव नारायण यादव, निवासी तालगाछ, थाना-खोदाबारी, जिला-किशनगंज।
9. दिलनाज़ बेगम पति अरहीम, निवासी हल्दावन, थाना-डीघलबैंक, जिला-किशनगंज।
10. मो मिफाहुल पिता अब्दुल मन्नान निवासी दोगिरजा सतकोहा थाना- दिघल बैंक, जिला-
किशनगंज।
11. राम प्रसाद गणेश पिता चामू लाल गणेश, निवासी मालटोली, पुलिस थाना- दिघल बैंक,
जिला- किशनगंज.
12. बिजली देवी पति अरुण देव गिरि, निवासी महामारी, पो. धंतोला, थाना-दिघल बैंक, जिला-
किशनगंज।
13. पंकज कुमार पिता स्वर्गीय मोहन पांडे, निवासी धनतोला, पुलिस थाना- दिघल बैंक,
जिला- किशनगंज.

14. मिश्री लाल दास, पिता भुकरा हरिजन, निवासी करुआमनी, पो.पदमपुर, थाना- दिघल बैंक, जिला- किशनगंज।
15. प्रमिला देवी, पति जागेश्वर गोस्वामी, निवासी मंगुरा, पो.मंगुरा, थाना-दिघल बैंक, जिला- किशनगंज।
16. रुकैया खातून पति स्वर्गीय नजीबुर रहमान निवासी जागीर दहिबाभट, पोस्ट. तुलसिया, थाना-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज।
17. यार मोहम्मद पिता अब्दुल वहाब, निवासी बालूबाड़ी, पो. कोडनोबारी,थाना- कोढोबारी, जिला- किशनगंज।
18. मिन्नत परवीन पति फारूक आलम, निवासी पत्थनघट्टी, पो.कोडनोबारी. थाना-कोढोबारी, जिला-किशनगंज।
19. अख्तरी बेगम पति अयूब आलम निवासी चकला घंगड़ा की थाना- कोढोबारी जिला- किशनगंज.
20. मो. मुश्ताक पिता हाजी समीरुद्दीन निवासी चकला घंगड़ा थाना-कोढोबारी जिला- किशनगंज।
21. मलेका खातून, पति मोहसिन अली, निवासी मुस्तफागंज, पो. तुलसिया,थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
22. आमा खातून पति अब्दुल लतीफ, निवासी सुकंडेघी, पो. पदमपुर,थाना- दिघल बैंक, जिला- किशनगंज।
23. मुस्तफी बेगम पति मो.अख्तर, निवासी दोगच्छी, थाना-गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज।
24. यास्मीन आश उर्फ यास्मीन परवीन पति वजीर आलम, वाई निवासी नं.8, हरुवाटंगा, थाना-दिघल बैंक, जिला-किशनगंज।
25. जफर हसनैन, पिता शमशुल होदा, निवासी ताराबाड़ी, थाना-गरभंडांगा, जिला-किशनगंज।
26. तौहीद आलम के पिता अब्दुल कैयूम, डकरा, पो.-लोहागाड़ा निवासी हाट, थाना-गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज।
27. अजमत अली पिता निजामुद्दीन, निवासी खास कुम्हिया, पो. लोहंगाड़ाहाट, थाना- गर्भनडांगा, जिला-किशनगंज।

..... ... प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति :

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 2232/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता।
 श्री राम प्रवेश नाथ तिवारी, अधिवक्ता।
 एस.ई.सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता।
 श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।
 निजी प्रतिवादी संख्या : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता।
 7, 8, 11 से 15, 18 से 23, 26 और 27 : श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता।
 राज्य के लिए : श्री बीरेंद्र प्रसाद सिंह, ए.सी. से एस.सी.-
 19

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 2233/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता।
 श्री राम प्रवेश नाथ तिवारी, अधिवक्ता।
 एस.ई.सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता।
 श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।
 निजी प्रतिवादी संख्या : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता।
 7, 8, 11 से 15, 18 से 23, 26 और 27: श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता।
 राज्य की ओर से : श्री विजय कुमार सिंह, एसी से एससी-19

=====

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (इसके बाद 'अधिनियम') - एस.157, एस.40, एस.44
 रिट याचिका - समान प्रकृति की दो रिट याचिकाओं पर एक साथ सामान्य आदेश द्वारा विचार
 किया जा रहा है - पंचायती राज - अधिनियम की धारा 44 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन
 नहीं किए जाने या प्रमुख, उप-प्रमुख या पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कार्यपालक
 पदाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट की मिलीभगत से भ्रष्ट आचरण अपनाए जाने के आधार पर
 अविश्वास की विशेष बैठक की मांग को चुनौती देते हुए - प्रमुख और उप-प्रमुख के कार्यकाल के
 दो वर्षों के भीतर - अधिनियम द्वारा चुनाव के दो वर्षों के भीतर कोई 'अविश्वास प्रस्ताव' नहीं
 लाया जा सकता है - निर्वाचित सदस्य जो प्रमुख बनना चाहते हैं, वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को

पराजित करते हुए 'खरीद-फरोख्त' में लिस होते हैं - इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर कार्यपालिका ने भी जानबूझकर 10/2/2024 को बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की तिथि निर्धारित की है - संदेश और निर्णय का अंत लोकतांत्रिक चुनाव के व्यापक दर्शन को दर्शाता है - वर्तमान मामले में 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक उस समय के किसी भी निर्वाचित सदस्य द्वारा तुच्छ आधार पर या अधिनियम की धारा 40 में निहित वैधानिक प्रावधान की धारणा को लेकर बुलाई गई और सफल हो गई - जिन अधिकारियों को कानून द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, वे अक्सर उनमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जो बदले में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पराजित करता है जिसे संरक्षित करने की मांग की जाती है - समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने ढेर सारे मामलों में दोहराया है कि तर्कसंगतता के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है जहां अधिकारी को अपनी राय के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाती है-इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहर बरपाने वाली अनियंत्रित शक्ति को अनियंत्रित नहीं होने देना है- कानून के उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए कुछ आधार प्रदान किया जाना चाहिए, पंचायत समिति सदस्यों और खंड विकास अधिकारी द्वारा 10/02/2024 को 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक के दौरान कथित अवैधता के संबंध में शिकायत - अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों की प्रकृति की न्यायिक समीक्षा के नजरिए से जांच की जानी चाहिए और उन तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए जिनके आधार पर संबंधित अधिकारी की यह राय होने का आरोप है - धारा 157 के तहत शक्ति का प्रयोग तब किया जाना है जब जिला मजिस्ट्रेट की 'राय हो' कि धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है - इस अधिनियम के तहत जो आवश्यक है वह जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक राय या पूरी तरह से उसके विवेक पर आधारित संतुष्टि है - अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक की तारीख तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देते हैं अधिनियम, 2006 के तहत या तो प्रक्रियात्मक दोषों से निपटकर या विशेष बैठक आयोजित करने में अवैधानिक रूप से पाए जाने के कारण - उपरोक्त पृष्ठभूमि में 10/2/2024 को विशेष बैठक की तारीख तय करने में आपत्तिजनक आदेश में औचित्य और तर्क का अभाव है और यदि इस तरह के आदेश को जारी रहने दिया जाता है तो इससे पंचायत स्तर पर पूरी लोकतांत्रिक

व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी - जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिन्होंने बिना अधिकार क्षेत्र के 10/02/2024 को बैठक की तारीख तय की थी और उसके बाद उन्होंने प्रमुख - दीघा बैंक को उनके द्वारा तय की गई तारीख यानी 10/02/2024 को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था, जैसा कि ज्ञापन संख्या 125 दिनांक 31/01/2024 में निहित है, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए हस्तक्षेप की मांग को निरस्त किया जाता है और रद्द किया जाता है - मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सभी जिला मजिस्ट्रेट के साथ एक तत्काल बैठक करनी चाहिए और उन्हें धारा 44 और 70 से अवगत कराने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले उन्हें बुनियादी सलाह देनी चाहिए धारा 157 और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले धारा 44 और 70 - खंड विकास अधिकारी जो अधिनियम के तहत कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्हें पंचायत समिति के व्यवसाय के संबंध में बैठक के मिनट्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, साथ ही 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक भी बुलाई जाती है। इसके अलावा वे पूरी तरह से अज्ञानता दिखाते हैं और जानबूझकर अवैध रूप से शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे विशेष बैठक बुलाना अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के बिना हो जाता है। यह केवल वर्तमान खंड विकास अधिकारी ही नहीं हैं जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से बिहार पंचायती राज संस्थाओं (कार्य संचालन) नियम, 2015 की धारा 44 और नियम 15 के संबंध में पूरी तरह से अज्ञानता दिखाई है - वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से बिहार पंचायती राज संस्थाओं (कार्य संचालन) नियम, 2015 के नियम 15 के संबंध में पूरी तरह से अज्ञानता दिखाई है। कार्यकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें बैठक में भाग लेना होता है और पंचायत समिति के कामकाज के दौरान या विशेष बैठक के संबंध में होने वाली जानबूझकर की गई कार्रवाई को तैयार करना होता है - इस संबंध में पूर्ण अज्ञानता सभी खंड विकास अधिकारियों की ओर से भी विफलता है, जिससे लोगों के जनादेश को विफल किया जा रहा है - न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया - इसे पंचायत समिति के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दिया, जो लोगों के जनादेश को ध्यान में रखते हुए जनहित में उनके सामने आने वाले परिणामों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं - सदस्य अपने अधिकारों से अच्छी तरह वाकिफ थे और प्रमुख तथा उप-प्रमुख के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए वे कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं - रिट याचिका का

निपटारा किया जाता है - आदेश की एक प्रति बिहार के विद्वान महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को भेजी जाए

संदर्भ: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाम जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1140

भानुमति और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एआईआर 2010 एससी 3769

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत संघ और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 600

एस.एल.कपूर बनाम जगमोहन (1980) 4 एससीसी 379

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति पूर्णेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 01-04-2024

दोनों रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे समान हैं, इसलिए उन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और एक ही आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एन. शाही और विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रवेश प्रसाद सिंह को सुना गया; राज्य चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन और विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश पांडेय को सुना गया; दोनों रिट आवेदनों में प्रतिवादी संख्या 7, 8, 11 से 15, 18 से 23 और 26 एवं 27 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन के साथ श्री अमित श्रीवास्तव को सुना गया और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2232/2024 में राज्य की ओर से विद्वान ए.सी. टू एस.सी.-19 श्री बीरेंद्र प्रसाद सिंह को और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2233/2024 में राज्य की ओर से विद्वान ए.सी. टू एस.सी.-18 श्री विजय कुमार सिंह को सुना गया।

3. दिनांक 26.02.2024 के आदेश के अनुक्रम में और 15.03.2024 तथा इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत उपस्थिति को 15.03.2024 के आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया। इस न्यायालय द्वारा उन्हें बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों के बारे में उनकी कार्रवाई और उनकी जागरूकता को उचित ठहराने का निर्देश दिया

जिस पर उन्होंने मेमो संख्या 125 दिनांक 31.01.2024 में निहित आदेश पारित किया है। दोनों पक्षों ने उस तरीके की निंदा की है जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करते हुए 10.02.2024 को बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की तारीख खुद तय की है, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका में उनके द्वारा उठाए गए कदम पर सवाल उठाया गया है।

4. खंड विकास अधिकारी अभिलेखों के साथ न्यायालय में उपस्थित हैं। उन्हें भी दोनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं है, जिनमें पंचायत समिति का कामकाज ठीक से न चलाना, नियमित बैठकें न करना तथा अन्य आरोप शामिल हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा 50 के अध्याय IV में निहित प्रावधानों तथा उप-प्रमुख के संबंध में धारा 43 के प्रावधानों के बारे में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई है। अधिनियम की धारा 50 में स्थायी समितियों का प्रावधान है तथा प्रमुख की अध्यक्षता में ऐसी सात समितियां हैं। उप-प्रमुख सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं। अधिनियम की धारा 43 उप-प्रमुख की शक्तियों, कार्यों तथा कर्तव्यों से संबंधित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 (जिसे आगे नियमावली, 2015 कहा जाएगा) के संबंध में भी अपनी अनभिज्ञता दर्शाई है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी ही नियमावली के संबंध में पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अधिनियम के प्रावधानों तथा पंचायत समिति या जिला परिषद एवं नगर निगम स्तर पर कार्य संचालन के तरीके पर विचार किया जाएगा।

5. यह न्यायालय रिट याचिकाओं से भरा पड़ा है, जिनमें प्रमुख, उप-प्रमुख या पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अधिनियम, 2006 की धारा 44 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने या कार्यकारी अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट की मिलीभगत से भ्रष्ट आचरण अपनाए जाने के आधार पर अविश्वास की विशेष बैठक बुलाने को चुनौती दी गई है,

जो प्रमुख और उप-प्रमुख के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के ठीक बाद हर दिन दायर की जा रही हैं।

6. अधिनियम की धारा 44 के अनुसार प्रमुख और उप-प्रमुख के कार्यकाल के पहले दो वर्षों के दौरान 'अविश्वास प्रस्ताव' नहीं लाया जा सकता है और उक्त प्रावधान से अभिभूत होकर, प्रमुख या उप-प्रमुख बनने की इच्छा रखने वाले निर्वाचित सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पराजित करते हुए सामूहिक 'खरीद-फरोख्त' में लिस हो जाते हैं और वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर कार्यपालिका ने भी जानबूझकर 10.02.2024 को बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की तिथि तय की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाम जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1140 में यह निर्णय दिया है।

"37. हम यह संकेत देना चाहेंगे कि न्यायालयों द्वारा चुनाव मामलों में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में स्व-लगाया गया संयम, जिसका ऊपर दिए गए कुछ निर्णयों में विस्तार से उल्लेख किया गया है, इस हद तक कि एक बार अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, संवैधानिक न्यायालय, सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने से कतराते हैं, यह कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं है। लेकिन जहां ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, जो अन्यायपूर्ण कार्यकारी कार्रवाई या उम्मीदवारों और/या राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर को बाधित करने के प्रयास को दर्शाते हैं, जिनका कोई उचित या समझदार आधार नहीं है, वहां संवैधानिक न्यायालयों को

हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है, बल्कि वे कर्तव्य-बद्ध हैं।

न्यायालयों द्वारा आमतौर पर हस्तक्षेप न करने का कारण यह है कि उनका एकमात्र हितकारी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव, जो लोगों की इच्छा का प्रकटीकरण है, बिना किसी देरी या कमजोर किए अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचें।”

(जोर दिया गया)

7. जैसा कि हम निर्णय के अंत में देखेंगे, संदेश लोकतांत्रिक चुनावों के व्यापक दर्शन से संबंधित है जिसे **सर विंस्टन चर्चिल** ने बेजोड़ शब्दों में जीवंत किया है:

“लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि के मूल में वह छोटा आदमी है, जो एक छोटे से बूथ में एक छोटी सी पेंसिल के साथ चलता है, कागज के एक छोटे से टुकड़े पर एक छोटा सा क्रॉस बनाता है - कोई भी बयानबाजी या भारी चर्चा संभवतः इस बिंदु के अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती है।”

8. बिहार राज्य में, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक कभी-कभी किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा तुच्छ आधार पर या विशेष रूप से अधिनियम की धारा 40 में निहित वैधानिक प्रावधान की धारणा को लेकर बुलाई गई थी और सफल रही।

9. इस न्यायालय की सर्वोपरि चिंता यह है कि कार्यपालिका जिन्हें अपने प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के तहत, अक्सर अपने पास निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जो बदले में उनमें निहित शक्तियाँ, बदले में उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पराजित करती हैं, जिसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। एआईआर 2010 एससी 3796 में दर्ज भानुमति एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में, निम्नलिखित पैराग्राफ उद्धृत करना लाभदायक होगा:

"58. इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। लोकतंत्र में सार्वजनिक निकायों का नेतृत्व करने वाले सभी व्यक्ति पद पर बने रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें ऐसे निकायों के सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। यही लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद का सार है। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव का यह प्रावधान 1961 के अधिनियम में तिहतरवें संविधान संशोधन से पहले भी था और उसके बाद भी जारी रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इसी तरह के प्रावधान हैं।"

10. सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में बार-बार दोहराया है कि तर्कसंगतता के सिद्धांत का उपयोग तब किया जा सकता है जब प्राधिकरण को अपनी राय के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति दी गई हो। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में अप्रतिबंधित शक्ति को अनियंत्रित नहीं होने देना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय बनाम भारत संघ एवं अन्य (2022 लाइव लॉ (एससी) 600)** में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"28. जहां कोई अधिनियम या उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियम किसी कार्रवाई को संबंधित प्राधिकारी की राय पर निर्भर छोड़ देते हैं, जैसे कि 'संतुष्ट है' या 'राय का है' या 'यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है' या 'यदि वह आवश्यक समझता है', तो प्राधिकारी की राय निर्णायक है, (क) यदि अधिनियम या राय बनाने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था, (ख) यदि प्राधिकारी ने सद्भावपूर्वक कार्य किया, (ग) यदि प्राधिकारी ने स्वयं राय बनाई और किसी अन्य की राय नहीं ली और (घ) यदि प्राधिकारी कानून और उस मामले के बारे में किसी मौलिक गलत धारणा पर आगे नहीं बढ़ा, जिसके संबंध में राय बनाई जानी थी।

29. व्यक्तिपरक राय या संतुष्टि के आधार पर की गई कार्रवाई, हमारी राय में, न्यायिक समीक्षा पहले तथ्यों या परिस्थितियों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए की जा सकती है, जिनके आधार पर प्राधिकरण पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने राय बनाई है। यह सच है कि आम तौर पर अदालत को पाए गए तथ्यों की सत्यता या अन्यथा की जांच नहीं करनी चाहिए, सिवाय उस मामले के जहां यह आरोप लगाया जाता है कि जो तथ्य मौजूद पाए गए हैं, वे किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं थे या परिस्थितियों या सामग्री के संबंध में निष्कर्ष इतना विकृत है

कि कोई भी उचित व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि तथ्य और परिस्थितियाँ मौजूद हैं। न्यायालय आसानी से प्राधिकरण की राय की निर्णायकता को कानून के मामले या तथ्य के अस्तित्व के रूप में नहीं मानेंगे, जिस पर शक्ति के प्रयोग की वैधता आधारित है।

30. इस प्रकार तर्कसंगतता के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। जहां प्राधिकरण की राय के गठन के लिए कोई उचित आधार नहीं है, ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा अनुमेय है। [देखें डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिక్यूशन बनाम हेड, (1959) एसी 83 (लॉर्ड डेनिंग)]।

31. जब हम कहते हैं कि जहाँ कोई राय बनाने के लिए परिस्थितियाँ या सामग्री या स्थिति बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ऐसी राय के आधार पर की गई कार्रवाई को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, तो हमारा मतलब है कि वास्तव में राय बनाने या उसका समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। साक्ष्य की अपर्याप्तता या अपर्याप्तता और कोई साक्ष्य नहीं होने के बीच का अंतर निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिना किसी सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो केवल साक्ष्य के वजन के खिलाफ है, शक्ति का दुरुपयोग है जिसे न्यायालय स्वाभाविक रूप से बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी विशेष निर्णय का समर्थन करने के लिए सबूत है या नहीं, इसे हमेशा कानून के प्रश्न के रूप में माना जाता रहा है। [देखें रेग. बनाम ब्रिक्सटन जेल के गवर्नर, आर्माह, एक्स पार्ट, (1966) 3 डब्ल्यूएलआर 828 पृष्ठ 841 पर]।

32. ऐसे मामले में यह कहा जाता है कि प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया या उसने ईमानदारी से अपनी राय नहीं बनाई। जब राय अप्रासंगिक मामले पर आधारित होती है तो यही निष्कर्ष निकाला जाता है। [देखें रासबिहारी बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1969 एससी 1081]।

33. रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसडी अग्रवाल और अन्य, एआईआर 1969 एससी 707 के मामले में यह माना गया कि परिस्थितियों का अस्तित्व सरकार द्वारा राय बनाने के लिए एक शर्त है। यही विचार पहले बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य, एआईआर 1967 एससी 295 के मामले में व्यक्त किया गया था।

34. दूसरे, अदालत यह जांच कर सकती है कि क्या पाए गए तथ्य और परिस्थितियों का उस उद्देश्य से उचित संबंध है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है। दूसरे शब्दों में, यदि तथ्यों से कोई निष्कर्ष तार्किक रूप से उनके अनुरूप नहीं है और उनसे प्रवाहित नहीं होता है, तो न्यायालय उन्हें कानून की त्रुटि मानते हुए हस्तक्षेप कर सकते हैं। [देखें बीन बनाम डोनास्टर

एमाल्गामेटेड कोलियरीज, (1944) 2 ऑल ईआर 279 पृष्ठ 284 पर]। इस प्रकार, यह न्यायालय देख सकता है कि क्या पाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कोई भी उचित व्यक्ति यह कह सकता है कि कोई राय जो बनाई गई है, वह किसी उचित व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कानून का प्रश्न होगा। [देखें किसान बनाम कॉटन ट्रस्टी, 1915 एसी 922]। उनके माननीय न्यायाधीशों ने टिप्पणी की: “..... मेरे विनम्र निर्णय में, जहाँ सभी तथ्य पूर्ण रूप से पाए गए हैं, और एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या तथ्य ऐसे हैं कि मामले को कुछ वैधानिक अधिनियमों के उचित रूप से व्याख्या किए गए प्रावधानों के अंतर्गत लाया जा सके, प्रश्न केवल कानून का है।” [मुथु गौंडर बनाम मद्रास सरकार, (1969) 82 मैड एल.डब्ल्यू. 1 भी देखें]।

35. तीसरा, यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक संवैधानिक या वैधानिक शब्द का या तो गलत उपयोग किया गया है या गलत व्याख्या की गई है। न्यायालयों ने हमेशा क्षेत्राधिकार समीक्षा को कानून की त्रुटि के लिए समीक्षा के बराबर माना है और संवैधानिक या वैधानिक शब्द के अर्थ को गलत तरीके से समझा या गलत तरीके से लागू किए जाने पर आदेश को रद्द करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। [देखें इवेघ (अर्ल ऑफ) बनाम आवास और स्थानीय सरकार मंत्री, (1962) 2 क्यूबी 147; इवेघ (अर्ल ऑफ) बनाम आवास और स्थानीय सरकार मंत्री (1964) 1 एबी 395]।

36. चौथा, ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना जायज़ है जहाँ शक्ति का प्रयोग अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाता है। यदि एक उद्देश्य के लिए दी गई शक्ति का प्रयोग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह माना जाता है कि यह शक्ति किसी अन्य उद्देश्य के लिए दी गई शक्ति के विपरीत है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि शक्ति का वैध रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। यदि इस मामले में शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप से तत्काल कार्रवाई करने के उद्देश्य से नहीं किया गया पाया जाता है, बल्कि इसका उपयोग केवल शर्मिंदगी से बचने या व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए किया गया है, तो शक्ति का अनुचित रूप से प्रयोग किया गया माना जाएगा। [नटेसा असारी बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1954 मैड 481 देखें]।

37. पांचवां, जिन आधारों पर विचार किया जा सकता है, उन उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक आधारों पर विचार नहीं किया गया है या जो आधार प्रासंगिक नहीं हैं और फिर भी विचार किया गया है और कोई आदेश ऐसे आधारों पर आधारित है, तो आदेश को अमान्य और अवैध करार दिया जा सकता है। इस संबंध में, राम मनोहर बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 740 का संदर्भ लिया जा सकता है; द्वारका दास बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, एआईआर 1957 एससी 164 पृष्ठ 168 पर और मोतीलाल बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1968 एससी 1509। इसी सिद्धांत पर, प्रशासनिक कार्रवाई अमान्य हो जाएगी यदि यह स्थापित किया जा सके कि प्राधिकारी गलत प्रश्न पर संतुष्ट था: [देखें (1967) 1 एससी 13]”

(जोर दिया गया)

11. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल. कपूर बनाम जगमोहन, (1980) 4 एससीसी

379 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

“7. न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच पुराना अंतर खत्म हो गया है और हम “प्रशासनिक कार्रवाई” के भ्रामक मंत्र से मुक्त हो गए हैं। अब, उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बिनापानी देई [एआईआर 1967 एससी 1269: (1967) 2 एससीआर 625: (1967) 2 एलएलजे 266] में इस न्यायालय के निर्णय के समय से “यहां तक कि एक प्रशासनिक आदेश जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं . . . प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नागरिक परिणाम क्या हैं? यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली [(1978) 1 एससीसी 405, 440, 441: (1978) 2 एससीआर 272, 308-309] में पूछा गया और उत्तर दिया गया। संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा (पृष्ठ 308-09 पर): (एससीसी पृष्ठ 440, पैरा 66)

“लेकिन हम मौखिक जाल बिछाकर खुद से पूछें कि नागरिक परिणाम क्या है? ‘नागरिक परिणाम’ निस्संदेह न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन को कवर करते हैं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक वंचना और गैर-आर्थिक क्षति को भी कवर करते हैं। अपने व्यापक अर्थ में,

नागरिक जीवन में नागरिक को प्रभावित करने वाली हर चीज नागरिक परिणाम को प्रभावित करती है।"

विद्वान न्यायाधीश ने फिर ब्लैक के कानूनी शब्दकोश से उद्धरण दिया और संसदीय चुनाव में उम्मीदवार के हित पर विचार किया। उन्होंने अंत में कहा: (एससीसी पृष्ठ 441, पैरा 66)

"अपीलकर्ता को चुनाव हास्य या अभिमान के अनुसार नहीं बल्कि कानून और न्याय के अनुसार कराने का अधिकार है। और इसलिए इस मामले में प्राकृतिक न्याय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक कानून के अधिकार क्षेत्र और पीड़ित व्यक्ति के क्षेत्र में, अधिकार और हित का व्यापक महत्व है।"

12. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, किसी भी कार्रवाई के लिए कुछ आधारभूत आधार प्रदान किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से, जब ऐसे निर्णय आम जनता के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तो वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, यदि ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के मद्देनजर विचार की जाती है, तो मुझे लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 31.01.2024 को पारित आदेश, जैसा कि अनुलग्नक-1 में निहित है, केवल पार्टियों की दलीलों और पंचायत समिति के सदस्यों और ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा किए गए कथनों की गणना करता है, जो 13.01.2024 को याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक के दौरान की गई कथित अवैधता के संबंध में है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमुख को निर्देश देने से पहले कोई कारण नहीं बताया गया है कि वे पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2232/2024 दिनांक 01-04-2024 पर 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक आयोजित करें।
12/17 10.02.2024

13. अधिनियम की धारा 157 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को दी गई शक्ति की प्रकृति की न्यायिक समीक्षा के तहत जांच की जानी चाहिए ताकि उन तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिनके आधार पर संबंधित अधिकारी ने कथित तौर पर राय बनाई है। सुविधा के लिए, उपर्युक्त धारा का प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“157. अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठकों के संचालन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति - यदि जिला मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा से या किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर यह मानता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पंचायत की किसी विशेष बैठक के संचालन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कोई अनियमितता या गलती हो रही है, तो उसके पास उस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। वह किसी अधिकारी को ऐसी बैठक में उपस्थित रहने और ऐसे अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के लिए भी प्रतिनियुक्त कर सकता है।”

14. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 157 के तहत शक्ति का प्रयोग तब किया जाना है जब जिला मजिस्ट्रेट की 'राय' हो कि धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इस धारा के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक राय या संतुष्टि की आवश्यकता होती है जो पूरी तरह से उसके विवेक पर आधारित होती है।

15. अधिनियम, 2006 की धारा 44 में निहित प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

44. प्रमुख और उप-प्रमुख का त्यागपत्र और हटाया जाना-

(1) प्रमुख अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है और उप-प्रमुख अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में प्रमुख को संबोधित करके और प्रमुख की अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है और उक्त पद ऐसे त्यागपत्र की तिथि से सात दिनों की समाप्ति पर रिक्त माना जाएगा, जब तक कि सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर वह अपने हस्ताक्षर सहित

लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी या प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को संबोधित करके अपना त्यागपत्र वापस नहीं ले लेता।

(2) यदि कोई प्रमुख या उप-प्रमुख पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद त्याग देगा।

(3) (i) यदि पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख पर अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पारित कर दिया जाता है तो उसे तत्काल अपना पद त्याग दिया गया माना जाएगा।

ऐसी विशेष बैठक के लिए अधियाचना पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में प्रमुख को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसकी एक प्रति पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाएगी। कार्यकारी अधिकारी तत्काल अधियाचना को प्रमुख के ध्यान में लाएगा। प्रमुख ऐसी अधियाचना के 15 दिन के भीतर आने वाली तिथि को ऐसी बैठक बुलाएगा। यदि प्रमुख विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो उप-प्रमुख या सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई ऐसी बैठक के लिए एक तिथि तय कर सकता है और कार्यकारी अधिकारी को सदस्यों को सूचना देने और बैठक बुलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। कार्यकारी अधिकारी आवश्यक रूप से समय पर ऐसी सूचना जारी करेगा और बैठक बुलाएगा। एक बार इसके लिए सूचना जारी होने के बाद ऐसी कोई बैठक स्थगित नहीं की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ उनके कार्यकाल की पहली दो वर्ष की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। (ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख / उप-प्रमुख के पूरे कार्यकाल में केवल एक बार लाया जा सकता है)।

(iii) इस अधिनियम की धारा 39 (1) में वर्णित पंचायत समिति के कार्यकाल के अंतिम छह माह के दौरान प्रमुख या उप-प्रमुख अथवा दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(iv) ऐसे कारण/आरोप, जिनके आधार पर प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक की सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाएंगे। (v) इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक के आरंभ होते ही इस बैठक का पीठासीन सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है तथा उसे चर्चा के लिए खुला घोषित करेगा। प्रस्ताव पर कोई चर्चा स्थगित नहीं की जाएगी।

(vi) चर्चा के दौरान, प्रमुख/उपप्रमुख को, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पंचायत समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात उसी दिन मतदान कराया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा मतदान कराया जाएगा। (vii) प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने पर बैठक की अध्यक्षता उपप्रमुख द्वारा की जाएगी; उपप्रमुख के विरुद्ध प्रस्ताव आने पर प्रमुख द्वारा तथा प्रमुख और उपप्रमुख दोनों के विरुद्ध प्रस्ताव आने पर बैठक में उपस्थित पंचायत समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

उप-प्रमुख का पद रिक्त होने अथवा प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि पंचायत समिति पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाली सरकार की राय में, पंचायत समिति का कोई प्रमुख या उप-प्रमुख लगातार तीन बैठकों या बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है या इस अधिनियम के अधीन अपने

कर्तव्यों और कार्यों को करने में जानबूझकर चूक जाता है या मना कर देता है या अपने में निहित शक्ति का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता है (कानून द्वारा स्थापित प्राधिकारी के आदेश की अवज्ञा) या अपने कर्तव्यों का पालन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के कारण छह महीने से अधिक समय से फरार रहता है, तो सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाए जाने के पश्चात, उसे पद से हटा सकती है।

प्रमुख या उप-प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को स्पष्टीकरण का उचित अवसर प्रदान करना, आदेश द्वारा, ऐसे प्रमुख या उप-प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को पद से हटाना; (बशर्ते कि जब धारा 152 की उपधारा 5 के अधीन स्थापित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की वैध अधिसूचना द्वारा लागू हो जाती है, तो सरकार ऐसे प्रमुख/उप-प्रमुख को हटाने का आदेश केवल जांच और हटाने के लिए लोक प्रहरी की सिफारिश के आलोक में पारित कर सकती है। निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाए जाने के आरोप में हटाए गए प्रमुख या उप-प्रमुख ऐसे हटाए जाने की तिथि से अगले पांच वर्ष तक किसी भी पंचायत निकाय के लिए चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। शेष आरोपों के आधार पर हटाए गए प्रमुख या उप-प्रमुख ऐसी पंचायत समिति के शेष कार्यकाल के दौरान प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपने पद से हटाए गए प्रमुख या उप-प्रमुख को सरकार द्वारा पंचायत समिति की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है।”

16. अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत 'अविश्वास प्रस्ताव' की विशेष बैठक की तिथि तय करने का अधिकार नहीं देते हैं। पटना उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2232/2024 दिनांक 01-04-2024 15/17 अधिनियम की

धारा 157 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट को किस तरह से यह निर्णय लेना है कि अधिनियम, 2006 की धारा 44 का कोई उल्लंघन हुआ है, या तो प्रक्रियागत दोषों से निपटकर या विशेष बैठक आयोजित करने में अवैधता पाई गई है।

17. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, 10.02.2024 को विशेष बैठक की तिथि तय करने में विवादित आदेश में औचित्य और तर्क का अभाव है और यदि इस तरह के आदेश को जारी रहने दिया जाता है, तो इससे पंचायत स्तर पर संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।

18. इस न्यायालय के पास जिला मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को अलोकतांत्रिक ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिन्होंने बिना अधिकार क्षेत्र के 10.02.2024 को बैठक की तारीख तय की थी और उसके बाद उन्होंने प्रमुख - दिघल बैंक को उनके द्वारा तय की गई तारीख यानी 10.02.2024 को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था, जैसा कि ज्ञापन संख्या 125 दिनांक 31.01.2024 में निहित है, अधिकार क्षेत्र के बिना पारित हस्तक्षेप के लिए आह्वान एक अमान्यता है।

19. मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक तत्काल बैठक करनी चाहिए और धारा 157 और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले उन्हें धारा 44 और 70 से अवगत कराने के लिए बुनियादी सुझाव देना चाहिए।

20. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो अधिनियम के तहत कार्यपालक पदाधिकारी हैं और पंचायत समिति के कार्य के संबंध में बैठक की कार्यवाही तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक भी पूरी तरह से अज्ञानता दिखाते हैं और जानबूझकर अवैध रूप से शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे विशेष बैठक बुलाना अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के बिना हो जाता है। केवल वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी ही नहीं हैं जिन्होंने

अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से बिहार पंचायत राज संस्थाएं (कार्य संचालन) नियम, 2015 की धारा 44 और नियम 15 के संबंध में अपनी पूरी अज्ञानता दिखाई है। उन्हें ही कार्यकारी पदाधिकारी होने के नाते बैठक में भाग लेना होता है और पंचायत समिति के कार्य के दौरान या विशेष बैठक के संबंध में होने वाले विचार-विमर्श को तैयार करना होता है। इस संबंध में पूर्ण अज्ञानता सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों की विफलता भी है, जिससे लोगों के जनादेश को विफल किया जा रहा है।

21. इस न्यायालय ने किसी भी पक्ष के मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, जिससे यह पंचायत समिति के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दिया गया है, जो लोगों के जनादेश को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में उनके सामने आने वाले परिणामों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

22. श्री अमित श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि ज्ञापन संख्या 125 में निहित पटना उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2232/2024 दिनांक 01-04-2024 17/17 आदेश दिनांक 31.01.2024 को रद्द करने के परिणामस्वरूप, निर्वाचित सदस्य अपने अधिकार से अच्छी तरह वाकिफ हैं और प्रमुख और उप-प्रमुख के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

23. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

24. इस आदेश की एक प्रति विद्वान महाधिवक्ता के साथ-साथ मुख्य सचिव, बिहार सरकार को भी भेजी जाए।

(पुर्नंदु सिंह न्यायमूर्ति)

मन्त्रेश्वर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।